

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-254/2019

धर्मवीर पुत्र राजपाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

राजपाल उर्फ राजाराम पुत्र तेजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहारणी हाल
आबाद वीपीओ बणी नं0 3, तहसील रानियां जिला सिरसा हरि0।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अब्दुल सत्तार जोईया वकील वादी मिन जामिन मुदई
श्री हरबंस सिंह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री
दी जाती है कि चकनं0 6 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खातासं0
125/110 में प0न0 229/238 मु0 14 किला नं0 15/1/.127, 16/.253, 24/1/.
126, 25/.253 कुल 0.759 है0 नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाकर चकनं0 6 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खातासं0
125/110 में से प्रतिवादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी
अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति
रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के
मय शुद बा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।
बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.09.2020 को जारी किया गया।



Maangilal
(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी